न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 –84 / 13
दायरा दिनांक –9.07.2013
निर्णय दिनांक –29.08.2019

बउनवान

1. बाबूलाल आयु 50 वर्ष श्री भैरूलाल जाति औढ़ निवासी मालोटी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. दूलाल प्रमाणिक पुत्र श्री सतीश प्रमाणिक जाति बंगाली निवासी घटटी तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)
2. अजीत प्रमाणिक पुत्र सतीश प्रमाणिक जाति बंगाली निवासी विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा(राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, एवं 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :–29.08.2019

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक शब्बीर मोहम्मद नागर इस आशय का पेश किया –

1. यह कि वाकै ग्राम परानिया पटवार हल्का परानिया तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे खाता संख्या नई 77 पुरानी 179 ख0न0 226 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा किस्म नहरी बारानी दोयम लगानी 8.41 रूपये स्थित है। जिसको वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि विवादित आराजी वादी के पिता ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 19.03.75 को 2000 / – रूपये प्रतिफल राशि के बदले खरीद की है। और प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता ने अपने समस्त हक हकूक व अधिकार वादी के पिता पक्ष मे मुन्तकिल कर दिये है। खरीद दिनांक 19.03.75 से ही विवादित आराजी पर साधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है और विवादित आराजी से प्राप्त उपज का उपयोग उपभोग निरन्तर करता चला आ रहा है।
3. यह कि विवादित आराजी का नामान्तरण अपने नाम खुलवाने के लिये हल्का पटवारी को विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की प्रति देने के बावजूद नामान्तरण नही खोला गया इसलिये विवादित आराजी वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता के नाम से चालू राजस्व रिकॉर्ड मे अवैध रूप से दर्ज चली आ रही है, इस अवैध अंकन की आड मे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पुनः विवादित आराजी को अन्यत्र मुन्तकिल करने पर आमादा हो रहे है।

4. यह कि विवादित आराजी मे वादी के पिता ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय खरीद की है और प्रतिवादी क्रम 1व 2 के पिता ने अपने समस्त हक हकूक व मालिकाना अधिकार वादी के पिता के पक्ष मे मुन्तकिल कर दिये, इसलिये वादी विवादित आराजी पर खातेदारी हक हकूको की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।
5. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादी को जुलाई 1999 मे भी विवादित आराजी से बेदखल करने की कोशिश की थी और वादी को बेदखल करने के उददेश्य से विवादित आराजी को एक बार हांक दिया था, लेकिन वादी ने पुनः विवादित आराजी को हांक कर फसल बो दी, विवादित भूमि से कब्जा नही छोडा इस प्रकार से वादी का विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरोध के बावजूद 1999 से एडवर्स पजेशन चला आ रहा है। इस कारण वादी विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी हकूको की घोषणा करवाने का अधिकारी है।
6. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 विवादित आराजी को अत्यन्त मुन्तकिल करने की वादी को, बेदखल करने की दिनांक 17.05.2013 को धमकी दी है कि इसी कारण वाद उत्पन्न हुआ है।
7. यह कि विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रम 3 सुप्रिम लेण्ड होल्डर है जिसको विधिक नोटिस 80 सी0पी0सी0 प्रेषित किया जा चूका लेकिन वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वाद पत्र विधिक नोटिस अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 के साथ वाद पत्र संलग्न है।
8. यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
9. यह कि वाद पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है।
10. यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि – वादी को विवादित आराजी ख0स0 226 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा ग्राम परानियां का बतौर खातेदार चालू राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे और इस ख0सं0 से 226 मे से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को विवादित आराजी के कब्जे काश्त मे दखलअन्दाजी न करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे न आराजी को रहन बेचान करे न खुर्द बुर्द करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथी को प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। क्रम 2 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड तलवाना पेश होने पर नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 2 के रजिस्टर्ड सम्मन को 30 दिन से अधिक होने पर तामील मानते हुये। प्रतिवादी क्रम 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी क्रम 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी क्रम 3 पे जवाब पेश नही किया। प्रतिवादी क्रम 3 का जवाब बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता ने pw-1 बाबूलाल, pw-2 रामरतन pw-3 परिमल के बयान लेखबद्व करवाये। दौराने साक्ष्यवादी pw-1 बाबूलाल ने जाहिर किया कि

विवादित कृषि भूमि ख0न0 226 रकबा 7.05 बीघा ग्राम परानियॉ की है। जिसे मेने स्व0पिता भैरूलाल पुत्र हीरालाल ने 2000/– दो हजार रूपये मे खातेदार सतीश प्रमाणिक पुत्र बंकु बिहारी निवासी घटटी से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री स्टाम्प पर अर्जी नवीस (डीड राईटर) से दिनांक 19.03.1975 को लिखवाकर तहसील किशनगंज पर दिनांक 20.03.1975 को प्रस्तुत कर पंजीयन करवाई थी। जो दिनांक 24.03.1975 को दर्ज रजिस्टर हुई थी। खरीद के पश्चात से मेरे पिता भैरूलाल काश्त करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से मे ही काश्त करता चला आ रहा हूॅ। लेकिन गैर खातेदारी होने से रजिस्ट्री शुदा खरीद कृषि भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज नही हुई। प्रतिवादी के पिता की मृत्यु मृतक सतीश प्रमाणिक के खातेदारी दिनांक 24.1.2013 इन्तकाल नं0 986 से होने पर वादी ने वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे मृतक विक्रेता खातेदार सतीश प्रमाणिक के पुत्र दुलाल व अजीज को पक्षकार बनाया गया। इस कारण वादी जरिये खरीद रजिस्ट्री सन् 1975 से निरन्तर कब्जा होने से खातेदार बन चुका है तथा इन्तकाल खुलवाकर खातेदारी दर्ज करवाने का हकदार है। वादी का कब्जा होने की रिपोर्ट हल्का पटवारी परानिया की रिपोर्ट पत्रावली मे मौजूद है जो तहसीलदार साहब के पत्र क्रमांक 3932 दिनांक 30. 11.2017 से इस न्यायालय मे (पत्रावली मे) 2.12.2017 को प्राप्त हो चुकी है मेने दावा पेश करते समय जरिये वकील विधिक नोटिस तहसीलदार साहब किशनगंज को 13.06.2013 को दिया है। जो प्रदर्श pw-1 है। खाता जमाबन्दी नकल सम्वत् 2058–61 खाता सं0 177 प्रदर्श pw-2 है तथा असल रजिस्ट्री खरीद प्रदर्श pw-3 है एवं वर्तमान चालू खाता जमाबन्दी प्रदर्श pw-4 है। जो संलग्न पत्रावली है। मेरा दावा स्वीकार फरमाया जावे तथा आराजी ख0न0 226 रकबा 7.5 बीघा से प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जावे एवं मेरा नाम बतौर मालिक राजस्व रिकॉर्ड खाता जमाबन्दी मे इन्तकाल खुलवाकर दर्ज किया जावे एवं जो न्याय हित मे उचित सहायता की जावे।

वादी अधि0 और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधि0. की साक्ष्यवादी समाप्त की जाती है। प्रतिवादी पेरोकार सरकार को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये तदउपरान्त भी पेरोकार सरकार ने साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही की प्रतिवादी पेरोकार सरकार की साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाती है। वादी अधि0 की एक पक्षीय बहस सूनी गई। दौराने बहस वादी अधि0 ने वाद पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया और निवेदन किया वादी के पिता भैरूलाल ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड खरीदी थी वादी के पिता फौत हो गये है। अतः वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अद्योतन विवेचनानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

–:क्रियात्मक आदेशः–

वाकेग्राम परानिया पटवार हल्का परानिया तहसील किशनगंज की आराजी ख0न0 226 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण दुलाल, अजीज व गौरी बाई पिसरान सतीश प्रमाणिक नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी का नाम चालू राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.11.05 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: